

## अपराधिक न्याय प्रणाली

### प्रलिस के लिये:

[अनुच्छेद 246](#), राज्य सूची, [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973](#), [सत्र न्यायाधीश](#), [जेल प्रणाली](#), [व्यावसायिक प्रशिक्षण](#), [उच्च न्यायालय](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [फास्टट्रैक न्यायालय](#), [मानवाधिकार](#), [जमानत](#), [भारतीय वधिआयोग](#), [कानूनी सहायता](#) ।

### मेन्स के लिये:

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल खामियाँ और उन्हें दूर करने के उपाय ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में बलात्कार के एक मगदंत आरोप और उसके बाद कारावास की सज़ा ने हमारे कानून प्रवर्तन तंत्र में कई प्रणालीगत कमियों तथा सामाजिक जटिलताओं को उजागर किया है, जनि पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ।

## भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS) कैसी है?

### परचिय:

- किसी भी राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली, **आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिये सरकारों** द्वारा स्थापित एजेंसियों और प्रक्रियाओं का समूह है, जिसका उद्देश्य **अपराध** को नयितरति करना तथा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को **दंड** देना है ।
- भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली 1860 में लागू **भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC)** पर आधारित है ।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 246** में **पुलिस**, **सार्वजनिक व्यवस्था**, **न्यायालय**, **जेल**, **सुधारगृह** और अन्य संबद्ध संस्थाओं को **राज्य सूची** में रखा गया है ।
  - हालाँकि, **संघीय कानूनों** का पालन पुलिस, न्यायपालिका और सुधार संस्थानों द्वारा किया जाता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल अंग हैं ।

### CJS की संरचना: इसमें चार मुख्य स्तंभ शामिल हैं ।

- पुलिस द्वारा जाँच:** **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973** की धारा 161 जाँच अधिकारी को संबद्ध मामले के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्त से पूछताछ करने और उनका बयान दर्ज करने की अनुमति देती है ।
- अभियोक्ताओं द्वारा मामले का अभियोजन:** **अभियोक्ता** अभियुक्त पर अपराध का आरोप लगाते हैं और न्यायालय में यह सदिध करने का प्रयास करते हैं कविह दोषी है ।
- न्यायालय द्वारा दोष का नरिधारण:** न्यायालय अपने **वविकाधिकार** का उपयोग करते हुए, अपराधी की पृष्ठभूमि, और उसके **सुधार** की संभावना को ध्यान में रखते हुए दंडादेश देता है ।
- कारावास प्रणाली के माध्यम से सुधार:** भारत में कारावास का उपयोग **शिक्षा**, **श्रम**, **व्यावसायिक प्रशिक्षण** और **योग** व **साधना** के माध्यम से कैदी में **सुधार एवं उसके पुनरवास** के लिये किया जाता है ।

## भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या चुनौतियाँ शामिल हैं?

- मामलों का लंबति रहना:** जुलाई 2023 तक, भारत के सभी न्यायालयों में **5 करोड से अधिक** मामले लंबति थे ।
  - इनमें से **87.4% अधीनस्थ न्यायालयों** में, **12.4% उच्च न्यायालयों** में लंबति है, जबकलिंगभग **1,82,000** मामले 30 वर्ष से अधिक समय से लंबति हैं । **सर्वोच्च न्यायालय** में लंबति मामलों की संख्या **78,400** थी ।
- न्यायिक रक्तियाँ:** भारत में **प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश** हैं, जो कप्रति दस लाख लोगों पर **50 न्यायाधीशों के दीर्घकालिक लक्ष्य** से कम है जिसके परिणामस्वरूप मामलों के नपिटान में वलिंब होता है ।
- फास्ट-ट्रैक कोर्ट के संबंध में धीमी प्रगत:** **फास्ट-ट्रैक कोर्ट** हमेशा पूर्ण क्षमता से कार्य करने में अक्षम रहा है ।





# भारत में पुलिस सुधार



## संवैधानिक स्थिति:

- पुलिस एवं लोक व्यवस्था: राज्य सूची के विषय (7वीं अनुसूची)



## सुधार की आवश्यकता:

- औपनिवेशिक कानून
- हिरासत में मौत
- जवाबदेहिता की कमी
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- लैंगिक संवेदनशीलता की खराब स्थिति
- सांप्रदायिक/जातिगत पूर्वाग्रह
- कोई अत्याचार विरोधी कानून नहीं



## संबंधित डेटा:

- पुलिस-पीपल अनुपात: 153 पुलिस/100,000 लोग (वैश्विक बेंचमार्क: 222 पुलिस/100,000 लोग)
- हिरासत में मौतें: 2021-2022 में 175 (गृह मंत्रालय के अनुसार)
- महिलाओं की हिस्सेदारी: संपूर्ण बल का 10.5% (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021)
- अवसंरचना: 3 में से 1 पुलिस स्टेशन सीसीटीवी से लैस है (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021)



## पुलिस सुधार पर महत्वपूर्ण समितियाँ/आयोग:



## संबंधित पहलें:

- स्मार्ट पुलिसिंग (अखिल भारतीय)
- स्वचालित मल्टीमॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (AMBIS) (महाराष्ट्र)
- रियल टाइम विज़िटर मॉनिटरिंग सिस्टम (ए.आई. और ब्लॉकचेन आधारित) (आंध्र प्रदेश)
- साइबरडोम (टेक आर एंड डी सेंटर) (केरल)



## पुलिसिंग के साथ चुनौतियाँ:

- निम्न पुलिस-जनसंख्या अनुपात
- राजनीतिक अधिरोपण
- असंतोषजनक पुलिस-पब्लिक संबंध
- इन्फ्रा घाटा
- भ्रष्टाचार
- कम कर्मचारी/अत्यधिक भार

## आगे की राह:

- ↑ पुलिस बजट, संसाधन
- ↑ भर्ती प्रक्रिया
- भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय लागू करें
- ↑ पुलिसकर्मियों का कौशल
- बेहतर प्रतिनिधित्व (महिलाएँ, अल्पसंख्यक)



//

CJS के सुधार से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या हैं?

